खास खबरें

युवक पर जानलेवा हमला

नप्र, भोपाल :बैरागढ़ के सेवासदन के पास फरियादी नीरज जनयानी (44) पर बाइक से आए दो अज्ञात आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अशोका गार्डन में बाइक चोरी

अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में फरियादी नरेन्द्र कुमार बकोरिया की हीरो मोटरसाइकिल (एमपी-05 एमए-6968) अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ वाहन चोरी का मामला दर्ज कर बाइक की तलाश शुरू कर दी है।

जेवरों से भरा बैग चोरी

बागसेवनियां में फरियादी मोतीलाल पटेल ऑटो से सफर कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी उनका सोने-चांदी के जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

लापरवाही से वाहन चलाने पर केस

आरआरएल तिराहे पर फरियादी पदपाली शुक्ला (32) की शिकायत पर एमपी-04 वायएस-5064 के चालक के खिलाफ तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।

सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी

गौतम नगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए एमी सक्सेना, शिवनारायण अहिरवार और अंकित सिंह को पकड़ा। तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36-बी के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

रेलवे ट्रैक पर युवक की मौत

छोलामंदिर थाना क्षेत्र के भानपुर रेलवे ट्रैक पर गोलू रैकवार (25) का शव मिला। फरियादी विकास रैकवार की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। प्रारंभिक जांच में ट्रेन की चपेट में आने से मौत होना सामने आया है।

जहांगीराबाद से व्यक्ति लापता

जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में फरियादी आदित्य ने गुंजन (49), पिता स्व. विजय के बिना बताए घर से चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पैसों के विवाद में मारपीट

शाहपुरा थाना क्षेत्र में फरियादी राजेश कुमार ठाकुर ने नरेन्द्र व अन्य पर दुकान में पैसों के विवाद को लेकर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गाली-गलौज और मारपीट

हनुमानगंज थाना क्षेत्र में फरियादी गुलशन गंगवानी की शिकायत पर रविचंद वर्मा के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परवलिया में रास्ता रोककर मारपीट

परवलिया थाना क्षेत्र में फरियादी विनीत कुमार शर्मा ने राममोहन सिंह सेंगर, हार्दिक सेंगर, चंद्रप्रभात विजय कुशवाहा और अभिषेक पर रास्ता रोककर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रदेश महिला सहकारिता सम्मेलन में 250 महिलाओं ने लिया हिस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के रानी अहिल्याबाई होल्कर सभागार में सहकार भारती मध्यप्रदेश के तत्वावधान में प्रदेश महिला सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेशभर से लगभग 250 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विचार साझा किए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग थे। उन्होंने महिलाओं से सहकारिता आंदोलन से जुड़कर प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सम्मेलन में एपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र यादव, सहकार भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख रेवती शेंडुर्णीकर, राष्ट्रीय मंत्री दिलीप दादा पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष शेखर किवे, प्रदेश संगठन मंत्री राधेश्याम जलक्षत्री, प्रदेश महामंत्री राकेश चौहान सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लगभग 30 महिलाओं का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही 'सहकार दिग्दर्शिका' पत्रिका का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन में विभिन्न महिला समूहों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा करते हुए सहकारिता के माध्यम से रोजगार, आर्थिक उन्नति और सामाजिक सशक्तीकरण के अनुभव प्रस्तुत किए।

कुख्यात वन्यजीव शिकारी
अजीत पारधी की जमानत निरस्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पेंच टाइगर रिजर्व में वर्ष 2013 में दर्ज वन्यजीव शिकार प्रकरण के कुख्यात आरोपी अजीत पारधी की जमानत विशेष न्यायालय, जबलपुर ने निरस्त कर दी है। न्यायालय अब आरोपी की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करेगा, जिसके बाद उसे महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाया जाएगा। वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों में यह प्रदेश का एक विरला मामला है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 480 के तहत जांच एजेंसी के आवेदन पर पहले से जमानत प्राप्त आरोपी की जमानत और बंधपत्र निरस्त किए गए हैं।

विशेष न्यायालय, जबलपुर से सशर्त जमानत मिलने के बाद भी एसटीएसएफ उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए थी। जमानत पर रिहा होने के कुछ ही महीनों बाद 25 जनवरी 2025 को उसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ शिकार के एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकरण की जांच में भी एसटीएसएफ ने चंद्रपुर वन विभाग को सहयोग प्रदान किया था। वर्तमान में आरोपी जिला जेल चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। एसटीएसएफ ने वर्ष 2025 में ही आरोपी की जमानत निरस्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। एसटीएसएफ और लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर विशेष न्यायालय, जबलपुर ने माना कि आरोपी जमानत पर रहने योग्य नहीं है। न्यायालय ने उसकी जमानत और बंधपत्र निरस्त करते हुए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ परिक्षेत्र (बफर) में वर्ष 2013 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रकरण में अजीत पारधी समेत अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएसएफ ने 11 वर्ष से फरार चल रहे अजीत पारधी को 18 जुलाई 2024 को बालाघाट जिले से गिरफ्तार किया था। अजीत पारधी पर बाघ और पैंगोलिन के शिकार एवं तस्करी से जुड़े कई मामलों में आरोपी होने का रिकॉर्ड है। उसके विरुद्ध सीबीआई सहित महाराष्ट्र के नागपुर, उमरेड, करंडला अभयारण्य और चंद्रपुर वन मंडल में भी विभिन्न वन्यजीव अपराध दर्ज हैं। प्रकरण की विवेचना वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर एसटीएसएफ की जबलपुर इकाई कर रही है।

आज से शुरू होगा 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' का शुभारंभ 14 जुलाई को रवीन्द्र भवन, भोपाल में किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा जनभागीदारी के माध्यम से नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की सक्रिय सहभागिता रहेगी। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जागरूकता रैली, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में संवाद, जनचौपाल, पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया अभियान तथा नशा मुक्ति विषयक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शुभारंभ समारोह में प्रदेश शासन के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षाविद्, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और 'हमारा है यही संदेश, नशा-मुक्त हो मध्यप्रदेश' के संकल्प को सफल बनाने में सहयोग करें।

भोपाल को मिलेगी अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत करेंगे लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के आंचलिक विज्ञान केन्द्र में विकसित अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण 14 जुलाई को सायं पांच बजकर तीस मिनट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में करेंगे।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई आंचलिक विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित यह दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसका विकास नेहरू

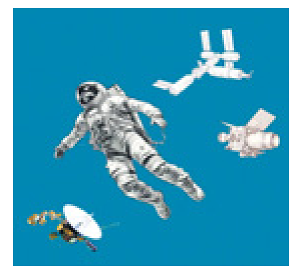

विज्ञान केन्द्र, मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है।

दीर्घा में आधुनिक डिजिटल तकनीकों, सहभागितापूर्ण प्रदर्शों तथा वैज्ञानिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आगंतुकों को ब्रह्मांड, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण और भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों से परिचित कराया जाएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के नासदीय सूक्त और शून्य की अवधारणा से लेकर आर्यभट्ट, चंद्रयान-एक, मंगलयान, चंद्रयान-तीन और गगनयान जैसे भारतीय अंतरिक्ष अभियानों को वैज्ञानिक एवं आकर्षक स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है।

दीर्घा में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अनुभव, अंतरिक्ष भ्रमण, अंतरिक्ष उड़ान अनुकरण प्रणाली, चंद्रमा और मंगल ग्रह की त्रि-आयामी सतहों का अवलोकन, रॉकेट विज्ञान तथा कक्षीय यांत्रिकी से संबंधित अनेक सहभागितापूर्ण प्रदर्श भी विकसित किए गए हैं। इनके माध्यम से आगंतुकों को अंतरिक्ष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यह दीर्घा विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विज्ञान प्रेमियों तथा आम नागरिकों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के प्रति रुचि विकसित करने के साथ अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही प्रदेश में विज्ञान आधारित पर्यटन, विज्ञान संचार तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार पारितंत्र को भी सुदृढ़ बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ समाजसेवी नंद किशोर गोयनका के निधन पर दुख व्यक्त किया

नप्र, भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिताजी नंद किशोर गोयनका के निधन पर गहन दुख व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. श्री गोयनका वरिष्ठ समाजसेवी और गौ-सेवक थे। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजन को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

यूसीआई लॉयर्स चैंबर्स वेलफेयर सोसायटी चुनाव

विजय पड़ेरिया बने मुख्य चुनाव अधिकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः यूसीआई (उत्तम चंद इसरानी) लॉयर्स चैंबर्स वेलफेयर सोसायटी के आगामी चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोसायटी ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय पड़ेरिया को आगामी चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की उम्मीद जताई।

इसी क्रम में आयोजित बैठक में चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और कम खर्चीला बनाने पर भी चर्चा हुई। सदस्यों की ओर से सुझाव दिया गया कि सोसायटी के चुनाव का पूरा खर्च केवल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर डालना उचित नहीं होगा। चूंकि यह सभी सदस्यों की साझा संस्था है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया का व्यय भी सभी सदस्यों के सामूहिक सहयोग से वहन किया जाना चाहिए।

बैठक में कहा गया कि इससे चुनाव में सहभागिता, समानता और पारदर्शिता की भावना को बढ़ावा मिलेगा तथा सेवा भावना से चुनाव लड़ने वाले सदस्यों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यक्तिगत सुझाव है और इस संबंध में अंतिम निर्णय सोसायटी के सभी सदस्य सामूहिक रूप से लेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में विजय पड़ेरिया की नियुक्ति के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

बैरागढ़ में कपड़ा कारोबारी पर दिनदहाड़े चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के बैरागढ़ इलाके में सोमवार दोपहर एक कपड़ा कारोबारी पर दो अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। महज तीन सेकंड के भीतर आरोपियों ने दो वार किए, जिनमें दूसरा वार व्यापारी की पीठ में धंस गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद व्यापारी करीब 20 फीट तक जान बचाने के लिए भागते रहे। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पुलिस के अनुसार, सेवा सदन के पीछे स्थित मैचिंग सेंटर के संचालक नीरज जिनयानी सोमवार दोपहर दुकान खोलने के बाद बाहर अपनी एक्टिवा पर बैठे थे। तभी पीछे से आए दो अज्ञात युवकों ने बिना किसी बातचीत या विवाद के अचानक चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर

लगातार चाकू से वार करते नजर आ रहे हैं। दूसरे वार में चाकू नीरज जिनयानी की पीठ में धंस गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को तत्काल संभालकर एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर बैरागढ़ थाना प्रभारी अशोक गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने व्यापारी से किसी प्रकार की कहासुनी या विवाद नहीं किया। दोनों सीधे पहुंचे और हमला कर फरार हो गए। पुलिस पुरानी रंजिश, सुपारी, कारोबारी विवाद और पूर्व नियोजित साजिश समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।

थाना प्रभारी अशोक गौतम ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भौंरी आवासीय परियोजना में 50 हितग्राहियों ने चुने अपने आशियाने

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम भोपाल द्वारा संचालित भौंरी आवासीय परियोजना में सोमवार को 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' प्रक्रिया के तहत 50 हितग्राहियों ने अपने पसंदीदा आवासों का चयन किया।

नगर निगम के अनुसार, ईडब्ल्यूएस (स्लम) श्रेणी के उन हितग्राहियों को आवास चयन की सुविधा दी गई, जिन्होंने अपने अंश की पूरी राशि जमा कर दी थी। इस प्रक्रिया के लिए कुल 62 हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 50 हितग्राही परियोजना स्थल पर पहुंचे और उपलब्ध आवासों में से अपनी पसंद का आवास चुना। आवास चयन के बाद हितग्राहियों ने अपने-अपने फ्लैटों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश हितग्राही आवासों की गुणवत्ता से संतुष्ट नजर आए। वर्षों बाद पक्के घर का सपना साकार होने पर उन्होंने खुशी जताई। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से आवास आवंटित करने के लिए 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' व्यवस्था लागू की गई है।

जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने में प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि

नप्र, भोपाल : मप्र राज्य जैव विविधता बोर्ड प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन, उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत और संतुलित एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) की दिशा में उपलब्धि हासिल की है। जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों एवं विनिर्माताओं से प्राप्त एबीएस राशि में से बोर्ड ने प्रदेश के बुरहानपुर एवं उमरिया वनमंडलों की 153 जैव विविधता प्रबंधन समितियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को कुल 48.12 लाख की राशि वितरित की है। बोर्ड द्वारा अब तक प्रदेश के 33 वनमंडलों की 1,164 जैव विविधता प्रबंधन समितियों एवं लाभ के दावेदारों को कुल 499.50 लाख की एबीएस राशि वितरित की जा चुकी है।

जाहिर सूचना

(भूमि खसरा क्र. 33/1 रकबा 7 एकड़ 8 डेसीमल स्थित ग्राम गेहूंखेडा तहसील हुजूर (वर्तमान तहसील कोलार) जिला भोपाल के संबंध में)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार कैलाश पवार पुत्र स्व. श्री हेमराज आयु वयस्क निवासी बैरागढ़ चिचली कोलार, भोपाल (म.प्र.) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैत्रिक संपत्ति खसरा क्र. 33/1 रकबा 7 एकड़ 8 डेसीमल स्थित ग्राम गेहूंखेडा तहसील हुजूर (वर्तमान तहसील कोलार) जिला भोपाल में स्थित है जिस पर मेरे पक्षकार व उसके परिवार का विगत 55 वर्षों से कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है, जिसे अभय दरे पुत्र श्री स्व. श्री बालकृष्ण दरे वर्ष स्थायी निवासी म.न.-45, द्वारिका विहार कॉलोनी, तिलि सागर म.प्र. वर्तमान निवासी-म.न-602, ईकोसिटी, अस्तर प्लेटिनम, भोपाल म.प्र. द्वारा कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर गलत सीमांकन के आधार पर कब्जा कर विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में कोई भी व्यक्ति, संस्था, सोसायटी संव्यवहार ना करे और ना ही उक्त भूमि को क्रय करने हेतु कोई अनुबंध पत्र निष्पादित करे और ना ही विक्रय पत्र पंजीयन निष्पादित करावे। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक या सोसायटी द्वारा उक्त व्यक्तियो से मेरे पक्षकार की अनुमति के बगैर किसी प्रकार का कोई भी संव्यवहार किया जाता है या विक्रय पत्र निष्पादन कराया जाता है तो वह मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगा, जिस हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कृष्णा सहाय श्रीवास्तव, अधिवक्ता
आफिस:126-127, प्रथम तल, लायर्स लॉ चेम्बर, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.), मो. 9893885370, 9131456411

916

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल

जावक क्र. 3685
रा.अ.प्र.क्र.899/अपील/19-20
भोपाल, दिनांक 08/06/2026

सीताराम आ. स्वा. श्री मोकमसिंह, निवासी ग्राम भाटनी तहसील बासौदा, जिला विदिशा। **...अपीलार्थीगण......विरूद्ध...**1. श्रीमती सुती बाई पुत्री स्व. श्री मोकम सिंह, 2. सावित्री बाई पत्नी स्व. श्री मोकम सिंह, 3. हनुमन्त सिंह आ. स्व. श्री मोकम सिंह, 4. रविन्द्र सिंह आ. स्व. श्री मोकम सिंह, 5. रेखाबाई पुत्री स्व. श्री मोकम सिंह, निवासीगण ग्राम भाटनी तहसील बासौदा, जिला विदिशा म.प्र. **...प्रत्यर्थीगण**

सूचना पत्र

प्रति, 1. श्रीमती सुती बाई पुत्री स्व. श्री मोकम सिंह, 2. सावित्री बाई पत्नी स्व. श्री मोकम सिंह, 3. हनुमन्त सिंह आ. स्व. श्री मोकम सिंह, 4. रविन्द्र सिंह आ. स्व. श्री मोकम सिंह, 5. रेखाबाई पुत्री स्व. श्री मोकम सिंह, निवासीगण ग्राम भाटनी तहसील बासौदा, जिला विदिशा म.प्र. एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी सीताराम आ. स्व. श्री मोकमसिंह, निवासी ग्राम भाटनी तहसील बासौदा जिला विदिशा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा के अपील प्रकरण क्रं. 26/अपील/19-20 में पारित आदेश दिनांक 31/01/2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। 2/-अतः इस न्यायालय में दिनांक 15/07/26 को प्रातः 11.00 बजे आप स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उक्त प्रकरण से संबंधित अभिलेख सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। 3/-यह सूचना आज दिनांक 8/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(शिवराज सिंह वर्मा)
अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

917

कार्यालय राजस्व निरीक्षक ग्राम खजूरी कलॉ प.ह.नं.-100 नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

क्र./Q/रा.नि./2026
भोपाल दिनांक 13/07/2026
प्रकरण क्रमांक-0082/अ-12/2026-27

सूचना पत्र

1. श्री लक्ष्मी बंसल 2. श्री संजय बंसल 3. श्री बादाम सिंह **विषय:-** भूमि का सीमांकन करने बाबत्। उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक एस.एम-फाउंडेशन निवासी खजूरी कला 1.0310 हे. ने खसरा क्रमांक 716/1. रकबा स्थित ग्राम खजूरी कलॉ तहसील नजूल वृत्त एमपी नगर जिला भोपाल में सीमांकन हेतु आवेदन दिया था। उपरोक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 15/07/26 को प्रातः 12 बजे किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पडोसी कृषक होने के कारण आपको सूचित किया जाता है। कि आप सीमांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट:-** अपरिहार्य कारण कि वजह से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

918

कार्यालय राजस्व निरीक्षक ग्राम खजूरी कलॉ प.ह.नं.-100 नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

क्र./Q/रा.नि./2026
भोपाल दिनांक 13/07/2026

सूचना पत्र

1. बिजया गोहिल भूमि का बटांकन करने बाबत् उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक सुनील कुमार पिता/पति ए.पी. तिवारी निवासी खजूरी कला खसरा क्रमांक 490/6/2, 491 रकबा 0.1430 हे. स्थित ग्राम खजूरी कलॉ तहसील नजूल वृत्त एमपी नगर जिला भोपाल में बटांकन हेतु आवेदन दिया था। उपरोक्त भूमि का बटांकन प्रस्ताव मेरे द्वारा स्थल पर दिनांक 15/07/26 को प्रातः 0200 बजे तैयार किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पडोसी कृषक होने के कारण आपको सूचित किया जाता है। कि आप बटांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में बटांकन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

919

कार्यालय राजस्व निरीक्षक ग्राम खजूरी कलॉ प.ह.नं.-100 नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

क्र./Q/रा.नि./2026
भोपाल दिनांक 13/07/2026

सूचना पत्र

1.श्री संध्या गर्ग 2. श्री हिरेश गुप्ता 3. प्रभुराम चौधरी भूमि का बटांकन करने बाबत् उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक हिरेश गुप्ता पिता/पति बृजेन्द्र गुप्ता निवासी खजूरी कला खसरा क्रमांक 483/11/1, 483/13/1,483/6/1, 0.0320, 0.0320 0.0320 रकबा स्थित ग्राम खजूरी कलॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल का बटांकन हेतु आवेदन दिया था। उपरोक्त भूमि का बटांकन प्रस्ताव मेरे द्वारा स्थल पर दिनांक 15/07/26 को दोपहरः 02:00 बजे तैयार किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पडोसी कृषक होने के कारण आपको सूचित किया जाता है। कि आप बटांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में बटांकन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

920

कार्यालय राजस्व निरीक्षक ग्राम खजूरी कलॉ प.ह.नं.-100 नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

क्र./Q/रा.नि./2026
भोपाल दिनांक 13/07/2026

सूचना पत्र

1. श्री हिरेश गुप्ता 2. प्रभुराम चौधरी भूमि का बटांकन करने बाबत्। उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक श्रुति गर्ग पिता/पति पियुश अग्रवाल निवासी भोपाल ने खसरा क्रमांक 483/3/5, रकबा 0.0250 हे. स्थित ग्राम खजूरी कलॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल का बटांकन हेतु आवेदन दिया था। उपरोक्त भूमि का बटांकन प्रस्ताव मेरे द्वारा स्थल पर दिनांक 15/07/26 को दोपहर 02:00 बजे तैयार किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पडोसी कृषक होने के कारण आपको सूचित किया जाता है। कि आप बटांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में बटांकन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

921

कार्यालय राजस्व निरीक्षक ग्राम खजूरी कलॉ प.ह.नं.-100 नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

क्र./Q/रा.नि./2026
भोपाल दिनांक 13/07/2026

सूचना पत्र

1. प्रभुराम चौधरी, 2. राजेन्द्र गर्ग भूमि का बटांकन करने बाबत्। उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक संदीप शास्त्री पिता/पति नंदू लाल निवासी भोपाल ने खसरा क्रमांक 483/7/2, रकबा 0.0460 हे. स्थित ग्राम खजूरी कलॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल का बटांकन हेतु आवेदन दिया था। उपरोक्त भूमि का बटांकन प्रस्ताव मेरे द्वारा स्थल पर दिनांक 15/07/26 को दोपहर 02:00 बजे तैयार किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पडोसी कृषक होने के कारण आपको सूचित किया जाता है। कि आप बटांकन के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में बटांकन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर जिला भोपाल

922